**निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या 03 वर्ष 2018-19**

यह निरीक्षण प्रतिवेदन **निदेशक, रेशम निदेशालय-उत्तराखण्ड, देहरादून** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

**<u>कार्यालय</u> निदेशक, रेशम निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून** के माह 07/2015 से 03/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री आर०एन०यादव, श्री राजेश डोभाल सहायक लेखा परीक्षा अधिकारियों एवं श्री शरद चौधरी, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी(तदर्थ) द्वारा दिनांक 27/04/2018 से 11/05/2018 तक श्री नीरज चूंगू, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्णकालिक पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

**<u>भाग-I</u>**

1. **<u>परिचयात्मकः</u>** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री डी०के० मट्टू, श्री भानू प्रताप सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियो एवं श्री शेखर वर्मा, ले०प० द्वारा दिनांक 13.07.2015 से 22.07.2015 तक श्री सी०एस० बोहरा, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 07/2012 से 06/ 2015 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 07/2015 से 03/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।
2. (i**) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः उत्तराखण्ड राज्य**

   (ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

**(` लाख में)**

| वर्ष | प्रारम्भिक अवशेष | | स्थापना | | गैर स्थापना | | **आधिक्य (+) `** | **बचत (-) `** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **स्थापना `** | **गैर स्थापना `** | **आवंटन `** | **व्यय `** | **आवंटन `** | **व्यय `** | | |
| 2015-16 | - | - | 963.31 | 805.36 | 142.14 | 141.93 | 158.16 | |
| 2016-17 | - | - | 1102.71 | 932.85 | 179.13 | 172.63 | 176.36 | |
| 2017-18 | - | - | 1135.40 | 1067.36 | 167.96 | 164.87 | 71.13 | |

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

**(₹ लाख में)**

| वर्ष | योजना का नाम | प्रारम्भिक अवशेष | प्राप्त | व्यय | आधिक्य (+) | बचत (-) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-16 | केन्द्रपोषित योजना | 17.23 | **49.87** | **67.10** | – | – |
| 2016-17 | 1–सी.एस.एस. (सामान्य) योजनान्तर्गत ग्रेनेज भवन व कोल्ड स्टोरेज का निर्माण<br>2– शहतूती कलस्टर ऊधमसिंह नगर (टी.एस.पी.)<br>3– शहतूती कलस्टर कोटाबाग–नैनीताल (एस.सी.एस.पी..) | -<br>-<br>- | 441.27<br>39.71322<br>373.958 | 102.187<br>39.71322<br>373.958 | योजना कार्य गतिमान | |
| 2017-18 | 1–ओक टसर योजना (टी.एस.पी.)<br>2–आसन क्लस्टर देहरादून(सामान्य)<br>3–शहतूती कलस्टर ऊधमसिंह नगर (टी.एस.पी.)<br>4–शहतूती कलस्टर कोटाबाग–नैनीताल (एस.सी.एस.पी..) | -<br>-<br>-<br>- | 415.115<br>115.152<br>871.98<br>235.967 | 103.200<br>115.152<br>514.00<br>- | योजना कार्य गतिमान<br>योजना कार्य गतिमान | |

(iii) इकाई को बजट आवंटन उत्तराखंड शासन द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई **'ए'** श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

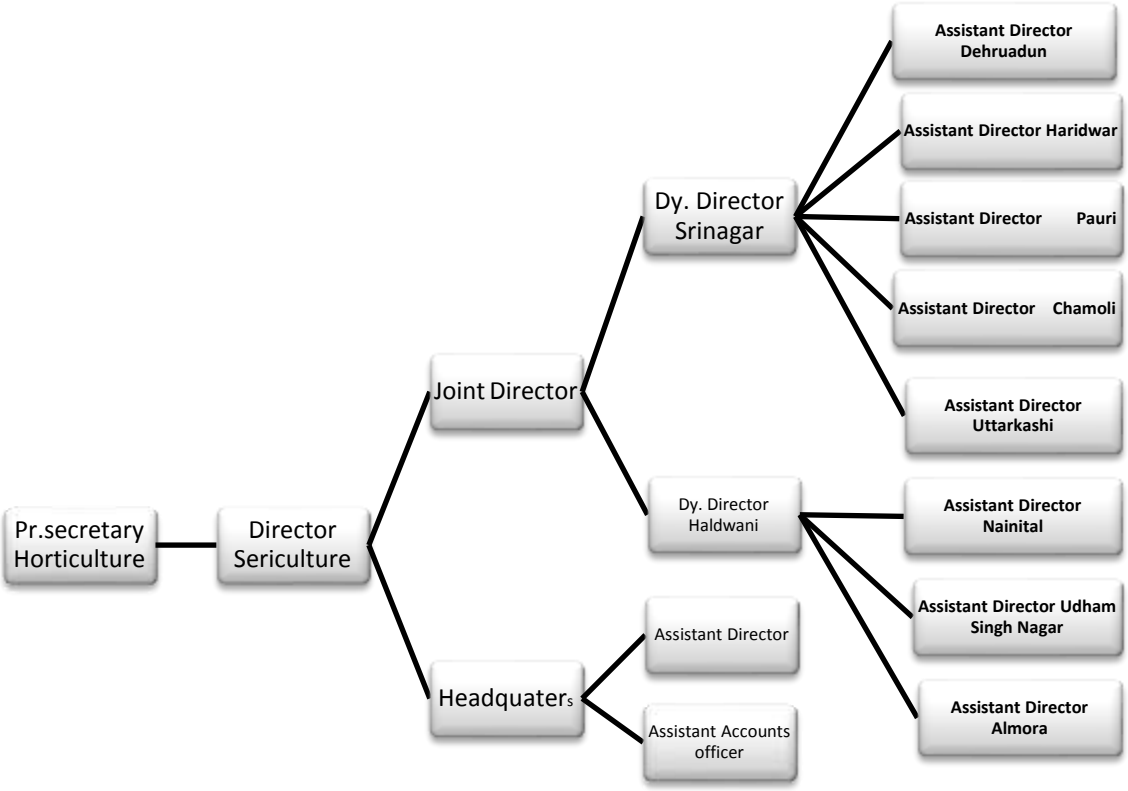


(iv) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में **निदेशक, रेशम निदेशालय-उत्तराखण्ड, देहरादून** को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियो के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **निदेशक, रेशम निदेशालय-उत्तराखण्ड, देहरादून** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 12/2017 एवं 01/2017 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

**भाग-2 (अ)**

**प्रस्तर 1:- चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को दिये गए जी.पी.एफ. अंतिम आहरण की धनराशि को जी.पी.एफ. लेखे मे से न घटाये जाने के कारण सेवानिवृत्त पर किए गये अधिक भुगतान से ` 1.50 लाख तथा उस पर देय ब्याज की वसूली लम्बित।**

रेशम निदेशालय, उत्तराखड़ देहारादून के लेखा अभिलेखो की जांच मे पाया गया हैं कि श्री नजीर अहमद, चौकीदार (सेवानिवृत्त) ने अपने सामान्य भविष्य निधि खाते ( **खाता संख्या DDN/ 2065/00324**) से मई 2015 में ` 1,50,000/- अपनी पुत्री की शादी हेतु अंतिम आहरण किया था जिसकी प्रविष्टियां उनके जीपीएफ अभिलेखों (सा.भ. नि. पासबुक व लेज़र खाता ) में नहीं की गयी। जिसके कारण उक्त कर्मचारी द्वारा आहरित धनराशि को जीपीएफ अभिलेखों (सा.भ. नि. पासबुक व लेज़र खाता ) मे घटाया नहीं गया हैं। श्री अहमद के दिनांक-31/07/2016 को सेवानिवृत होने के बाद माह अगस्त 2016 को रु० 542808 /- का अंतिम भुगतान भी किया जा चुका था। जिसमे से ` 1,50,000/- आहरित रकम को नहीं घटाया गया था। अतः श्री अहमद से ` 1,50,000/- जी.पी.एफ. अंतिम आहरण की धनराशि तथा उस पर लेखापरीक्षा तिथि (05/2018) तक देय ब्याज की वसूली नहीं की जा सकी थी।

इस ओर इंगित किए जाने पर निदेशालय द्वारा बताया गया कि नियमानुसार कार्यवाही कर ली जाएगी। निदेशालय का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योकि सेवानिवृत कर्मचारी के सामान्य भविष्य निधि का अंतिम भुगतान हुये लगभग 2 वर्ष व्यतीत हो चुके थे तथापि इस सन्दर्भ मे निदेशलय द्वारा इस अवधि मे कोई कार्यवाही सुनिश्चित नहीं की गयी थी।

अत: चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को दिये गए जी.पी.एफ. अंतिम आहरण की धनराशि को जी.पी.एफ. लेखे मे से न घटाये जाने के कारण सेवानिवृत्त पर किए गये अधिक भुगतान से ` 1.50 लाख तथा उस पर देय ब्याज की वसूली लम्बित रहने का प्रकरण शासन के संज्ञान मे लाया जाता है।

**भाग 2 (ब)**

**प्रस्तर 1 : उत्तराखंड को-आपरेटिव रेशम फेडरेशन लिमिटेड द्वारा सिल्क पार्क मे अर्जित किराया `25.01 लाख को रेशम निदेशालय उत्तराखंड को हस्तांतरित न कर राजस्व की हानि।**

उत्तराखंड को-आपरेटिव रेशम फेडरेशन लिमिटिड को पोस्ट ककून की गतिविधयो को संचालित किये जाने हेतु व उक्त पर आय अर्जित कर स्वावलंम्बी बनाने हेतु विभाग द्वारा 17 अप्रैल 2015 को सिल्क पार्क लीज के आधार पर हस्तान्तरित किए जाने हेतु अनुबंध निष्पादित किया था। उक्त अनुबंध के अनुसार निम्न कुछ शर्ते संचालन हेतु लागू है।

1. उत्तराखंड को-आपरेटिव रेशम फेडरेशन लिमिटिड द्वारा सिल्क भवन के समूचे क्षेत्रफल का उपयोग मात्र रेशम एवं इससे जुड़ी गतिविधयो के लिए ही किया जा सकेगा। (अनुबंध पेरा -iii)
2. निदेशक, रेशम निदेशालय उत्तराखंड के लिखित अनुमति प्राप्त किए बिना यूआरसीएफ़ द्वारा भवन मे कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा। यूआरसीएफ़ द्वारा भवन मे किसी अन्य को अध्यासित नहीं कराएगा और किसी प्रकार से तृतीय पक्ष का हित उत्पन्न नहीं करेगा। (अनुबंध पेरा -iv)
3. यूआरसीएफ़ द्वारा ` 2000 वार्षिक लीज़ रेन्ट का अग्रिम के रूप मे भुगतान करेगा। (अनुबंध पेरा -xi)

कार्यालय के अभिलेखो की जांच मे पाया गया कि सिल्क पार्क यू०आर०सी०एफ़ द्वारा ` 2000 वार्षिक लीज़ रेन्ट का अग्रिम के रूप मे भुगतान 2016 के उपरांत निदेशक, रेशम निदेशालय उत्तराखंड को नहीं किया गया है। निदेशक, रेशम निदेशालय उत्तराखंड के लिखित अनुमति प्राप्त किए बिना ही यू०सी०आर०एफ़० द्वारा भवन मे अन्य विभागो को अध्यासित किया था जिनसे यू०सी०आर०एफ़० द्वारा `25.01 लाख किराया वसूल किया गया है। चूंकि भवन निदेशक, रेशम निदेशालय उत्तराखंड का है व भवन का समूचे क्षेत्रफल का उपयोग यू०सी०आर०एफ़० को मात्र रेशम एवं इससे जुड़ी गतिविधयो के लिए ही किया जाना था जिससे वे पोस्ट ककून की गतिविधयो से आय अर्जित कर स्वावलंम्बी हो जाये जबकि ऐसा

कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं था जो यह दर्शाये कि निदेशक, रेशम निदेशालय उत्तराखंड के द्वारा यू०सी०आर०एफ़० को भवन मे अन्य विभागो को अध्यासित होने हेतु कोई लिखित अनुमति दी हो। इसके अतिरिक्त अर्जित किराया जो पोस्ट ककून की गतिविधयो का कोई भाग नहीं है को यू०सी०आर०एफ़० द्वारा निदेशक, रेशम निदेशालय उत्तराखंड को हस्तांतरित किया जाना चाहिए था। जो उनके द्वारा सुनिश्चित नहीं किया गया है।

उपरोक्त की ओर इंगित किए जाने पर निदेशालय द्वारा अवगत कराया गया कि यू०सी०आर०एफ़० द्वारा भवन किराया से आय अर्जन के सम्बंध मे अनुबंध मे स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है एवं लीज़ रेन्ट जमा कर दिया गया है। उत्तर तर्कसंगत नहीं माना जा सकता है क्योकि अनुबंध के पेरा -iv के अनुसार लिखित अनुमति प्राप्त किए बिना यूआरसीएफ़ भवन मे कोई परिवर्तन अथवा भवन मे किसी अन्य को अध्यासित नहीं कर सकता है। अत: अर्जित किराया यूआरसीएफ़ का किसी भी हालत मे पोस्ट ककून की गतिविधयो से प्राप्त आय का भाग नहीं माना जा सकता है क्योकि भवन का स्वामित्व निदेशक, रेशम निदेशालय उत्तराखंड का है व यह धनराशि विभाग के राजस्व[1] का हिस्सा है जो विगत 4 वर्षो से उत्तराखंड को-आपरेटिव रेशम फेडरेशन द्वारा  हस्तांतरित नहीं किया गया है।

अत: उत्तराखंड को-आपरेटिव रेशम फेडरेशन द्वारा सिल्क पार्क मे अर्जित किराया को रेशम निदेशालय उत्तराखंड को हस्तांतरित न कर राजस्व `25.01 लाख की हानि का प्रकरण शासन के संज्ञान मे लाया जाता है।

[1] निदेशक, रेशम निदेशालय उत्तराखंड द्वारा केन्द्रीय रेशम बोर्ड, भारत सरकार को दिये गये भवन की लीज़ रेन्ट विभाग के राजस्व मे जमा की जाती है उक्त की ही एक शाखा सिल्क पार्क मे भी है जिसका लीज़ रेन्ट यू०सी०आर०एफ़० आय के रूप मे ले रहा है जबकि सिल्क पार्क का स्वामित्व निदेशक, रेशम निदेशालय उत्तराखंड का है

## भाग–दो (ब)

**प्रस्तर 2– व्यावसायिक रूप से भवन का इस्तेमाल किये जाने के बावजूद भी उत्तराखण्ड कोआपरेटिव रेशम फेडरेशन (UCRF) से किराये की वसूली नही कर राजस्व की हानि।**

कार्यालय निदेशक, रेशम निदेशालय–उत्तराखण्ड, देहरादून के अभिलेखो के अनुसार निदेशालय के अन्तर्गत कोया बाजार सेलाकुई परिसर में स्थित सिल्क रीलिंग यूनिट भवन जो रेशम विभाग की सम्पत्ति है जिसमें विभाग द्वारा वर्ष 2016–17 में CST आधारित सोलर संयंत्र की स्थापना पर रू0 62.30 लाख व्यय किया गया, इसके अतिरिक्त समय–समय पर विभाग द्वारा इसके रखरखाव पर भी व्यय किया जाता है।

अभिलेखों की लेखापरीक्षा नमूना जॉच (05/2018) में **पाया गया** कि उक्त भवन का उपयोग[2] उत्तराखण्ड कोआपरेटिव रेशम फेडरेशन (UCRF) कर रही है परन्तु विभाग द्वारा उक्त सम्पत्ति को UCRF को देते समय विभाग एवं UCRF के मध्य कोई MOU नही किया गया, जैसा कि निदेशालय के स्वामित्व वाले रेशम पार्क भवन प्रेमनगर के संदर्भ में जो UCRF एवं केन्द्रीय रेशम बोर्ड को देते समय रेशम निदेशालय–उत्तराखण्ड, के पत्रांक 1475/सामा0/के0रे0बो0/ लीज नवीनी0/2016–17 दिनाक 06 जनवरी 2017 द्वारा MOU जो 5 Year Lease पर रू0 14400/– प्रतिवर्ष किराये पर किया गया था। UCRF (जो एक स्वायत्त इकाई है) द्वारा कृषको से कोया खरीद कर सिल्क रीलिंग यूनिट भवन का व्यावसायिक रूप से इस्तमाल किया जा रहा था, तथापि किराये का कोई भुगतान[3] नही किया जा रहा था जिससे राजस्व की हानि हो रही है।

उक्त के संदर्भ में इंगित किये जाने पर ईकाई ने अवगत कराया कि रीलिंग प्लांट भवन रेशम निदेशालय की सम्पत्ति है, रीलिंग इकाई UCRF को हस्तान्तरित नही हुई है, रेशम धागाकरण कार्य

---

[2] उक्त भवन का इस्तेमाल कब से किया जा रहा था इसकी जानकारी इकाई द्वारा नही उपलब्ध करायी गयी।
[3] सर्किल रेट के अनुसार।

संचालन हेतु दी गई है, रीलिंग इकाई का UCRF को हस्तान्तरित किये जाने का MOU अभी नही किया गया है शीघ्र कार्यवाही कर MOU पूर्ण करवाया जायेगा। रीलिंग इकाई का निर्माण कोसोत्तर गतिविधियों को बढ़ावा देने हेतु किया गया है जहां पर रेशम धागा उत्पादन का कार्य किया जाता है, वर्तमान में UCRF से किराया नही प्राप्त किया जा रहा है। इकाई के उत्तर से स्वयं लेखापरीखा बिन्दु की पुष्टि होती है क्योकि MOU किये बिना ही रीलिंग इकाई भवन को UCRF को दिया गया था, जिसमें रेशम धागा उत्पादन कर व्यावसायिक रूप से भवन का इस्तेमाल किया जा रहा था तथापि UCRF से कोई भवन किराया नही प्राप्त किया जा रहा था।

अतः व्यावसायिक रूप से भवन का इस्तेमाल किये जाने के बावजूद भी उत्तराखण्ड कोआपरेटिव रेशम फेडरेशन (UCRF) से किराये की वसूली नही कर राजस्व की हानि का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

**भाग 2- (ब)**

**प्रस्तर 3 : रेशम कीटाण्ड आपूर्ति पर `79.09 लाख के दायित्व का सृजन।**

प्रदेश के रेशम कीटपालको की रेशम कीटाण्ड आपूर्ति हेतु भुगतान मे सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से शासन द्वारा राज्य आयोजनागत योजना के अंतर्गत 0713- रेशम कीटाण्ड आपूर्ति हेतु साहयता योजना संचालित की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत रेशम कीटपालको से `1 प्रति डी0एफ0एल0 की दर से रेशम कीटाण्ड मूल्य कटोती करते हुए शेष (वर्ष 2015-16 मे `2.50, 2016-17 मे `3 व 2017-18 मे ` 5.50) रेशम कीटाण्ड मूल्य योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा वहन किए जाने के प्रावधान है।

कार्यालय के अभिलेखो की जांच मे पाया गया कि रेशम कीटपालको की रेशम कीटाण्ड आपूर्ति हेतु केन्द्रीय रेशम बोर्ड, भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गयी थी। लेकिन योजना के अनुसार बजट मे विगत तीन वर्षो से विभाग द्वारा प्राप्त आपूर्ति रेशम कीटाण्ड व उक्त के मूल्य के अनुसार अनुमान नहीं रखा गया था व शासन द्वारा भी भुगतान हेतु पर्याप्त बजट उपलब्ध नहीं कराया गया था। जिस कारण से आतिथि तक `79.09 लाख केन्द्रीय रेशम बोर्ड, भारत सरकार की देयता विभाग की हो गयी है जिसमे लाभार्थी द्वारा रेशम कीटाण्ड मूल्य अंश `16.77 लाख का देय भुगतान नहीं किया गया है साथ ही कार्यालय द्वारा प्राप्त रेशम कीटाण्ड व उसके सापेक्ष वार्षिक उपलब्धि भी शासन को सही अवगत नहीं कराया गया है। आगे यह भी पाया गया कि केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्वारा भविष्य मे कीटाण्ड आपूर्ति मे बाधा आने के भी संकेत कार्यालय को दिये है। उक्त के अनुसार भविष्य मे लाभार्थी को रेशम कीटाण्ड (डी0एफ0एल0) समय पर एवं पर्याप्त मात्रा मे मिलने मे दिक्कत होने की संभावना है जिससे भविष्य मे प्रदेश मे चल रही रेशम उत्पादन योजनाओ मे निश्चित ही असर पड़ेगा।

उपरोक्त की और इंगित किए जाने पर निदेशालय द्वारा अवगत कराया गया कि इस संबंध मे शासन को अनुपूरक मांग के माध्यम से प्रस्ताव प्रस्तुत किये गए है लेकिन मूल एवं अनुपूरक मांग पर बजट प्रावधान नहीं प्राप्त हुआ है। उत्तर तर्कसंगत नहीं माना जा सकता है क्योकि न तो विभाग लाभार्थी अंश (कृषक अंश) वसूल कर अपनी देयता कम कर पाया और न ही शासन को प्रस्तुत प्रगति आख्या के द्वारा सही जानकारी दे कर बजट प्रविधान करवाने मे सफल रहा है जिस कारण से भविष्य मे लाभार्थी को रेशम कीटाण्ड (डी0एफ0एल0) समय पर एवं पर्याप्त मात्रा मे मिलने मे दिक्कत होने की संभावना है।

अत: रेशम कीटाण्ड आपूर्ति पर `79.09 लाख के दायित्व का सृजन जिसमे लाभार्थियो (कृषक अंश) से रेशम कीटाण्ड मूल्य अंश `16.77 लाख का देय धनराशि प्राप्त न किये जाने का प्रकरण उच्च अधिकारियों के सज्ञान मे लाया जाता है।

**भाग 2-(ब)**

**प्रस्तर 4 : केन्द्रीय सैक्टर योजना / कार्यक्रम की जमा राशि पर अर्जित ब्याज को प्रोजेक्ट्स की बचत मे सम्मलित न कर राज्य सरकार के राजस्व मे जमा किया जाना व अवरुध्द अर्जित ब्याज `39.06 लाख को भारत सरकार को प्रेषित यू0 सी0 प्रमाण पत्र मे सम्मिलित न किया जाना।**

कार्यालय के अभिलेखो के अनुसार 2015-16 से 2017-18 तक कुल 5 प्रोजेक्ट को भारत सरकार द्वारा अनुमति प्रदान की है जिनपर कार्य चल रहा है व प्रगति पर है। उक्त कार्यो के लिए भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा धनराशि अवमुक्त की गई है व कार्यक्रम के गाइडलाइंस के अनुसार अलग सेविंग बैंक अकाउंट मे रखा जा रहा है। गाइडलाइंस के अनुसार कार्यक्रम मे बचत धनराशि[4] को उक्त मे सम्मलित प्रोजेक्ट्स पर ही उपयोग किया जाना है।

निदेशलय के अभिलेखो व पास बुक की जांच मे पाया गया कि राज्य सरकार से कार्यक्रम हेतु अवमुक्त धनराशि को अलग सेविंग बैंक अकाउंट मे रखा जा रहा है व उक्त पर अर्जित ब्याज को प्रोजेक्ट्स मे सम्मलित न कर राज्य सरकार के राजस्व मे `12.97 लाख जमा किया जा रहा है जो कार्यक्रम के गाइडलाइंस मे दिये गए निर्देशों के विरूध्द है। आगे यह भी पाया गया कि कार्यालय द्वारा कार्यक्रम की जमा राशि पर अर्जित ब्याज `39.06 लाख को भारत सरकार को प्रेषित उपयोगिता प्रमाण पत्र मे सम्मिलित नहीं किया गया है जो गाइडलाइंस व जी0एफ़0आर0 फार्म 19 मे दिये गए निर्देशों के विरूद है। इस के अतिरिक्त निदेशलय को यह भी जानकारी उपलब्ध नहीं थी कि उक्त के द्वारा अन्य कार्यदायी कार्यालयो को अवमुक्त धनराशि पर कुल कितना ब्याज अर्जित हुआ है जिस कारण से न तो भारत सरकार को उपयोग्यता प्रमाण पत्र के द्वारा अवगत कराया जा सका है और न ही उक्त धनराशि को स्वीकृत कार्यक्रमो पर उपयोगिता हेतु भारत सरकार से आदेश प्राप्त कर लिए जा सके है।

उपरोक्त के सम्बंध पर पूछे जाने पर निदेशलय द्वारा अवगत कराया गया कि गाइडलाइंस के अनुसार अर्जित ब्याज धनराशि को उक्त प्रोजेक्ट्स मे सम्मिलित किया जायेगा, भारत सरकार को अर्जित ब्याज धनराशि को आगामी उपयोगिता प्रमाण पत्र मे सम्मिलित किया जायेगा व वर्तमान मे उक्त कार्यालय द्वारा कोई भी उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशलय को प्रस्तुत नहीं किए गए है इसलिए कुल कितनी धनराशि ब्याज के रूप मे अर्जीत की गयी है

[4] जमा राशि पर अर्जित ब्याज

यह बताना अभी सम्भव नहीं है तथापि सम्बन्धी आहरण वितरण अधिकारियों को उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं अर्जित ब्याज की धनराशि के लिए पत्राचार भी किया जायेगा। निदेशालय द्वारा दिया गया उत्तर स्वत: ही लेखा परीक्षा टिप्पणी की पुष्टि करता है।

अत: केन्द्रीय सैक्टर योजना कार्यक्रम की जमा राशि पर अर्जित ब्याज को प्रोजेक्ट्स की बचत मे सम्मिलित न कर राज्य सरकार के राजस्व मे जमा किया जाना व अवरूद अर्जित ब्याज `39.06 लाख को भारत सरकार को प्रेषित यू0 सी0 प्रमाण पत्र मे सम्मिलित न किया जाना।

**भाग 2-(ब)**

**प्रस्तर 5: शासनादेशानुसार पी0 एल0 ए0 खाता संचालित न करके ` 58.04 लाख की धनराशि उत्तराखण्ड ग्रामीण बैंक में बचत खाता मे रखा जाना।**

सचिव वित्त उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 55/ XXVII(14)/2010 दिनांक 11 जून 2011 जो समस्त विभागाध्यक्ष एवं समस्त जिलाधिकारी उत्तराखण्ड को प्रेषित है के द्वारा वित्त विभाग के आदेश संख्या-99/XXVII(14)/2009 दिनांक 3 सितंबर 2009 पत्र संख्या 158/XXVII(14)/2009 दिनांक 27-11-2009 तथा पत्र संख्या 225/XXVII(14)/2010 दिनांक 22 मार्च 2010 में दिये गये निर्देशों के अनुरूप प्रत्येक विभाग को शासकीय धन को जमा करने हेतु अनिवार्य रूप से राज्य की अर्थोपाय स्थिति में संतुलन बनाये रखने के लिए समेकित निधि से आहरण तब किया जाय जब धनराशि के व्यय की तत्काल आवश्यकता हो के सिद्धांत पर सभी सरकारी प्रतिष्ठानों, निकायों, परियोजनाओं, परिषदों आदि के अधिकारी सुसंगत लेखाशीर्षक के अधीन कोषागार में व्यक्तिगत खाता (पी0एल0ए0) यदि पूर्व में न खुला हो तो एक सप्ताह  के अंदर खुलवाना सुनिश्चित करें तथा समेकित निधि से आहरित वे सभी धनराशियाँ जो बैंक में रखी गयी हो अथवा सावधि (फिक्स डिपोजिट) जमा में रखी गयी हों, को तत्काल कोषागार के विभागीय पी0 एल0 ए0 में जमा कर दिया जाये। पी0 एल0 ए0 से तत्काल आवश्यकता की ही धनराशियाँ समान्य जमा या सावधि जमा में न की जायें। इस सन्दर्भ मे योजनाओ  के लिए अवमुक्त धनराशि के शासनादेश मे भी बार बार दिशा निर्देश दिये गये है।

कार्यालय के लेखा अभिलेखों की जॉच में पाया गया कि कार्यालय में शासनादेशानुसार पी0 एल0 ए0 खाता संचालित न करके उत्तराखण्ड ग्रामीण बैंक में बचत खाता संचालित किया जा रहा है और आतिथि (अप्रैल/मई 2018) मे उक्त बचत खाते मे ` 58.04 लाख की धनराशि जमा है। आगे जांच मे पाया गया कि विभाग द्वारा 2017-18 मे योजनाओ की प्राप्त बजट धनराशि (ग्रान्ट 29 व ग्रान्ट 31) निकाल कर उत्तराखण्ड ग्रामीण बैंक मे संचालित बचत खाते मे अवरूद रखा है जबकि MIS (मार्च/2018 व महालेखाकार  VLC डाटा के अनुसार) के द्वारा  शासन के संज्ञान मे उक्त धनराशि को व्यय दर्शाया गया है जोकि शासनादेश, पूर्व मे निर्गत आदेश, बजट मेनुयल का उल्लंघन है व कार्यालय द्वारा गलत सूचना दिये जाने का स्पष्ट उदाहरण है। इसके अतिरिक्त पूर्व मे लेखा परीक्षा द्वारा

इस प्रकरण पर लगाई गई आपति के उपरान्त भी उक्त को सज्ञान मे न लिया जाना व कार्यवाही सुनिश्चित न करना कार्यालय की लापरवाही की ओर परिलिक्षित करता है।

इस ओर इंगित किए जाने पर निदेशालय द्वारा अवगत कराया गया कि यह खाता पूर्व से चलाया रहा है एवं पी0 एल0 ए0 खाता खोलने के कार्यवाही शासन स्तर से गतिमान है उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योकि पूर्व मे इस प्रकरण पर लेखा परीक्षा द्वारा लगाई गई आपति के तीन वर्ष उपरान्त भी विभाग पी0 एल0 ए0 खाता खोलने मे असमर्थ रहा है व निरंतर राज्य योजनाओ की धनराशि संचालित बचत खाते मे अवरूध रखी जा रही है जो निर्गत शासनादेशो के विरुध्द है।

अत: निर्गत शासनादेशो के विरुध्द राज्य योजनाओ की धनराशि एवं उक्त पर अर्जित ब्याज संचालित बचत खाते मे अवरूध्द व पी0 एल0 ए0 खाता न खोलने का प्रकरण उच्च अधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है।

**भाग 2-(ब)**

**प्रस्तर** 6 : **वित्तीय नियमो के विरूध्द निदेशालय द्वारा केन्द्रीय सैक्टर योजना के अंतर्गत प्राप्त धनराशि पर बिना कार्यदायी कार्यालय से उपयोगिता प्रमाण पत्र की प्राप्ति सुनिश्चित किए बिना ही भारत सरकार को `412.55 लाख (`373.95 लाख एस०सी०एस०पी0 + `38.60 लाख टी०एस०पी०) की उपयोगिता प्रमाण पत्र जारी कर देना व `453.40 लाख का एस0 सी0 एस0 पी0 एवं `1269.60 लाख का टी0 एस0 पी0 प्रोजेक्ट मे 2 वर्ष विलम्ब के उपरांत भी अपूर्ण।**

12वी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत वर्ष 2014-15 तक केंद्रीय रेशम बोर्ड की सहयाता से प्रदेश मे सी० डी० पी० योजना का संचालन (90:10 के अनुपात) मे किया गया है। लेकिन वर्ष 2015-16 से उपरोक्त सी० डी० पी० योजना को भारत सरकार द्वारा समाप्त कर सी०एस०एस० (80:10:10 केन्द्र: राज्य: लाभार्थी के अनुपात) योजना को पुनर्गठित किया गया है।

निदेशालय के अभिलेखो के अनुसार 2015-16 से 2017-18 तक कुल 5 प्रोजेक्ट (**विवरण सल्गनक 1 के अनुसार**) को भारत सरकार द्वारा अनुमति प्रदान की गयी है जिन पर कार्य चल रहा है व प्रगति पर है। कार्यक्रम की प्रगति रिपोर्ट (भौतिक व वित्तीय प्रगति) निदेशालय को भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है लेकिन निदेशालय द्वारा उक्त रिपोर्ट जांच हेतु लेखा परीक्षा को उपलब्ध नहीं कराये गए है। वर्ष 2016-17 मे एस०सी०एस०पी0 के अंतर्गत `453.40 लाख लागत से नैनीताल मे Mulberry क्लस्टर रामनगर kotabagh का प्रोजेक्ट व टी०एस०पी० के अंतर्गत Udhamsingh nagar मे `1269.60 लाख का intensive Bivoltine Sericulture प्रोजेक्ट वर्ष 2016-17 मे पूर्ण किए जाने थे जो कि आतिथि मे भी अपूर्ण है। अभिलेखो मे आगे यह भी पाया गया कि इन कार्यक्रम मे अवमुक्त की गयी धनराशि एस०सी०एस०पी0 के अंतर्गत `373.95 लाख व टी०एस०पी० के अंतर्गत `553.72 लाख की उपयोगिता प्रमाण पत्र कार्यदायी कार्यालय से निदेशालय को प्राप्त नहीं हुई है जबकि निदेशालय द्वारा इन कार्यक्रम पर भारत सरकार को `412.55 लाख (`373.95 लाख एस०सी०एस०पी0 + `38.60 लाख टी०एस०पी०) की यू०सी० जारी कर चुका है जो वित्तीय नियमो के विरूध्द है। अभिलेखो मे यह भी पाया गया कि यू0सी0आर0एफ़ को एस०सी०एस०पी0 के अंतर्गत 10/03/2017 को `25 लाख की धनराशि (रिवोलविंग फ़ंड) ककून क्रय किए जाने हेतु हस्तांतरित किया गया था लेकिन उनके द्वारा

उक्त धनराशि का भी उपयोगिता प्रमाण पत्र आतिथि तक निदेशक को नहीं उपलब्ध कराया गया है जो वित्तीय नियमो के विरूध्द है।

उपरोक्त के अतिरिक्त टी०एस०पी० प्रोजेक्ट के अंतर्गत पी0आई0एम0सी0 का कार्यकाल 2 वर्ष का है जो मार्च 2017 मे खत्म हो गया है। इस कमेटी को वर्ष मे दो बार मिलना था जो उक्त के द्वारा नहीं किया गया है। उक्त कमेटी को impact study, social audit & evaluation ऑफ the project हेतु एक agency को नियुक्त किया जाना था जो उनके द्वारा आतिथि तक नहीं किया गया है। इस कारण से इन कार्यक्रमों की वस्तुस्थिति, भौतिक व वित्तीय प्रगति का आकलन किया जाना अपेक्षित है।

उपरोक्त के सम्बंध पर पूछे जाने पर निदेशालय द्वारा अवगत कराया गया कि कार्यो की प्रगति रिपोर्ट क्रियान्वयन करने वाले कार्यालय से मांगी गयी है जो उपलब्ध होने पर प्रस्तुत कर दी जाएगी, परियोजना पुरी होने पर कार्यदायी कार्यालय से उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध करवाया जाता है, क्योकि केन्द्रीय रेशम बोर्ड परियोजना मे तब तक अगली किस्त अवमुक्त नहीं करती है जब तक उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है इस कारण से निदेशालय स्तर से जो धनराशि परियोजना हेतु अवमुक्त की जाती है उसकी उपयोगिता प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाता है। वर्ष 2018-19 मे दोनों योज़नाए पूर्ण होने की सम्भावना है। परियोजना पूर्ण होने के उपरांत तृतीय पक्ष से मूल्याकन कार्य करवाया जाएगा। निदेशलय द्वारा दिया गया उत्तर स्वतः ही लेखा परीक्षा टिपणी की पुष्टि करता है।

अत: वित्तीय नियमो के विरूद निदेशलय द्वारा केन्द्रीय सैक्टर योजना के अंतर्गत प्राप्त धनराशि पर बिना कार्यदायी कार्यालय से उपयोगता प्रमाण पत्र प्राप्ति सुनिश्चित किए बिना ही भारत सरकार को `412.55 लाख (`373.95 लाख एस०सी०एस०पी0 + `38.60 लाख टी०एस०पी०) की उपयोगता प्रमाण पत्र जारी कर देना व `453.40 लाख का एस0 सी0 एस0 पी0 एवं `1269.60 लाख का टी0 एस0 पी0 प्रोजेक्ट मे 2 वर्ष से अधिक विलम्ब होने के उपरांत भी अपूर्ण होने का प्रकरण उच्च अधिकारियों के सज्ञान मे लाया जाता है।

**भाग-2 (ब)**

**प्रस्तर 7:- ` 283.75 लाख से बन रहे बीजागार भवन के नव निर्माण से पूर्व भारत सरकार की अनुमति प्राप्त नही करना, भारत सरकार से प्राप्त बजट को अवरुद्ध रखना एवं उच्चाधिकारियों के आदेशो का उल्लघन किया जाना।**

केन्द्रीय रेशम बोर्ड (वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार), बेंगलुरु के पत्रांक-CSB-31/2 (CSS-Release)/2016-17/TS Date:-06.10.2016 के द्वारा रेशम निदेशालय, उत्तराखंड को **Critical intervention** under restructured CSS के अंतर्गत Renovation of grainage infrastructure and establishment of Cold Storage एवं अन्य कार्य करने हेतु ` 441.27 लाख धनराशि अवमुक्त की गयी। तथा उक्त कार्यालय के ही पत्रांक-CSB/RO(ND)/14(12)/CSS-UK/2015-16/Tech. Date: -18.10.2016 के द्वारा भी स्वीकृति के साथ उक्त कार्य के क्रियान्वयन हेतु दिशानिर्देश दिये गए थे।

परंतु अपर मुख्य सचिव, उत्तराखंड शासन ने अपने पत्रांक-648/xvi-2/17/17 (03)/2017 दिनांक-01 अगस्त 2017 द्वारा बीजागार भवन के Renovation की जगह भवन निर्माण हेतु ` 283.75 लाख की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति भारत सरकार के बिना पूर्व अनुमति लिए ही दी गयी। **बीजागार भवन के नव निर्माण के कारण** निश्चित ही परियोजना का लागत मुल्य बढेगा जिसको “Guidelines for Implementation Monitoring and Evaluation of SCSP” द्वारा स्पष्ट किया गया है कि “ The GOI share under the project shall remain fixed and no request for enhancement of GOI share shall be entertained at any point of project implementation.” आगे अभिलेखो मे पाया गया कि उक्त वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति देने से पूर्व दिनांक 13 जुलाई 2017 को अपर मुख्य सचिव, उद्यान की अध्यक्षता मे बीजागार भवन निर्माण के संबंध मे बैठक की गयी। बैठक मे विचार विमर्श के उपरांत निम्नलिखित सुझाव स्वीकार किए गए-

1. छत न्यूनतम 15 फीट रखी जाय क्योकि तकनीकी दृष्टि से ग्रैनेज की छत को इससे कम रखा जाना उपयुक्त नही हैं।
2. बताया गया हैं कि ग्रैनेज मे कुछ जैविक प्रकृति का अपशिष्ट ऐसा होना हैं जिसका वैज्ञानिक पद्धति से निस्तारण किया जाना आवश्यक होता हैं इसकी मात्रा अधिक नही होती हैं किन्तु यदि निस्तारण वैज्ञानिक पद्धति से नही किया

जाय तो बीमारी फैलने का अंदेशा बना रहता हैं। इसके लिए निर्माण इकाई के वरिष्ठ इंजीनियर एक बार सिल्क वर्म सीड प्रोडेक्शन सेंटर (SSPC) सेंट्रल सिल्क बोर्ड ग्रेनेज प्रेमनगर, देहरादून का भ्रमण कर लें तथा सेंट्रल सिल्क बोर्ड द्वारा इस संबंध मे बनाई गयी व्यवस्थाओं का ठीक से अध्यन कर लें।

अपर मुख्य सचिव, उद्यान के निर्देशों के अनुपालन मे दिनांक-20.07.2017 को निर्माण इकाई के वरिष्ठ इंजीनियर द्वारा सेंट्रल सिल्क बोर्ड ग्रेनेज प्रेमनगर, देहरादून का निरीक्षण किया गया तथा यह संस्तुति दी कि बीजागार की छत 13 फिट रखा जाना उचित होगा जबकि 13 जुलाई 2017 को अपर मुख्य सचिव, उद्यान की अध्यक्षता मे बैठक मे कहा गया था कि बीजागार भवन निर्माण हेतु छत न्यूनतम 15 फीट रखी जाये क्योकि तकनीकी दृष्टि से ग्रैनेज की छत को इससे कम रखा जाना उपयुक्त नही हैं।

इस संबंध मे कहना हैं कि अपर मुख्य सचिव उद्यान द्वारा निर्माण इकाई के वरिष्ठ इंजीनियरो से जैविक प्रकृति के अपशिष्ट का वैज्ञानिक पद्यति से निस्तारण का अध्ययन करने हेतु कहा गया था न कि छत की ऊंचाई निर्धारित करने के लिए और इसे भी अपर मुख्य सचिव, उत्तराखंड शासन से अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया था व बीजागार भवन के नव निर्माण हेतु निदेशक, रेशम निदेशालय, उत्तराखंड, प्रेमनागर, देहरादून एवं निर्माण इकाई, उत्तराखंड पेयजल निगम, देहरादून के मध्य दिनांक-23.08.2017 को समझौता ज्ञापन (MOU) हुआ जिसमे विभिन्न शर्तो मे से कुछ शर्ते निम्न लिखित थी-

| क्रम. स. | मद | दिनांक | महीनो की संख्या |
|---|---|---|---|
| 1 | परियोजना के प्रारम्भ करने की तारीख | 01/09/2017 | |
| 2 | 25 प्रतिशत तक भौतिक प्रगति की प्राप्ति | 31/12/2017 | 04 माह |
| 3 | 50 प्रतिशत तक भौतिक प्रगति की प्राप्ति | 30/04/2018 | 04 माह |
| 4 | 75 प्रतिशत तक भौतिक प्रगति की प्राप्ति | 31/07/2018 | 03 माह |
| 5 | 100 प्रतिशत तक भौतिक प्रगति की प्राप्ति | 30/10/2018 | 03 माह |
| 6 | तैयार/ पूर्ण परियोजना का सौंपा जाना | 31/11/2018 | 01 माह |

1. पैरा संख्या-02 के अनुसार, प्राकृतिक आपदा के मामलो को छोड़कर परियोजना की प्रगति के विभिन्न चरणों/कार्य पूर्ण किए जाने के लिए निम्नलिखित समय सारिणी होगी-
2. पैरा संख्या-14 के अनुसार, परियोजना को पूर्ण करने या उसकी प्रगति मे विलम्ब की स्थिति मे 0.1 प्रतिशत प्रतिमाह (3 माह तक के विलम्ब की स्थिति मे) अथवा उसके

बाद 0.25 प्रतिशत प्रतिमाह की कटौती निर्माण एजेंसी को देय प्रतिशत प्रभार (सेंटेज प्रभार) से की जायेगी।

3. पैरा संख्या-11 के अनुसार, निर्माण एजेंसी परियोजना के संबंध मे एक पृथक लेखा/खाता रखेगी तथा परियोजना सौपनें से पहले उसको उपलब्ध करायी गयी कुल निधियों, मदवार/कार्यवार व्यय/अर्जित कुल ब्याज तथा परियोजना लेखा के अंतिम अवशेषों का अधिप्रमाणित विवरण प्रस्तुत करेगी निर्माण एजेंसी परियोजना को सौपने से पहले ग्राहक का अर्जित ब्याज सहित कुल शेष धनराशि लौटाएगी।

निर्माण इकाई, उत्तराखंड पेयजल निगम, देहरादून द्वारा अपने पत्रांक-971/ उपयोगिता प्रमाण पत्र/02 दिनांक-18.01.2018 द्वारा प्रथम चरण के कार्य का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रेषित करने (Utilization Certificate) के साथ निदेशक, रेशम निदेशालय, उत्तराखंड, प्रेमनगर, देहारादून से अनुरोध किया था कि निर्माण कार्य समयान्तर्गत पूर्ण करने हेतु परियोजना की अवशेष धनराशि अवमुक्त की जाये जबकि निदेशालय द्वारा पूर्व मे प्राप्त धनराशि अनुरोध से तीन माह विलम्ब के उपरांत दिनांक-18.04.2018 को द्वितीय किश्त जारी की । यदि इसी तरह धनराशि अवमुक्त करने मे देरी होती हैं एवं परियोजना को पूर्ण करने मे अधिक समय लगता हैं तो संभवत: बीजागार भवन निर्माण की लागत पुनरीक्षण की आवश्यकता हो सकती हैं।

दिनांक- 23.08.2017 को निदेशक, रेशम निदेशालय, उत्तराखंड, प्रेमनगर, देहारादून एवं निर्माण इकाई, उत्तराखंड पेयजल निगम, देहरादून के मध्य समझौता ज्ञापन (MOU) के अनुसार दिनांक-30.11.2018 तक बीजागार भवन का निर्माण पूर्ण होना हैं। बीजागार भवन के संचालन हेतु अधिकारियों/ कर्मचारियो की आवश्यकता होनी हैं। इस संबंध मे दिनांक-01.06.2017 को मा0 उद्यान मंत्री जी की अध्यक्षता मे सम्पन्न विभागीय समीक्षा बैठक मे आवश्यक पदों के सृजन का प्रस्ताव शीघ्र उपलब्ध करने के निर्देश दिये गए थे। लेकिन चार माह व्यतीत होने के उपरान्त निदेशालय द्वारा अपने पत्रांक-1032/रेशम/ तक0 अनु0/2017-18 दिनांक-16.10.2017 द्वारा पदो के सृजन की मांग हेतु पत्र लिखा गया था। परंतु लेखा परीक्षा तिथि (5/2018) तक कोई पद सृजन नही किया गया था।

इस ओर इंगित करने पर निदेशालय द्वारा बताया गया कि Renovation की जगह नया भवन बनाने की जानकारी केन्द्रीय रेशम बोर्ड भारत सरकार को हैं जबकि निदेशालय द्वारा इस संबंध मे कोई भी अभिलेख/साक्ष्य लेखा परीक्षा को प्रस्तुत अथवा उपलब्ध नही

किये। छत की ऊंचाई 13 फीट रखने के संबंध मे कहा गया हैं की संयुक्त गठित कमेटी की निरीक्षण आख्या के आधार पर रखी गयी। जो कि अपर सचिव के आदेश का उल्लघन हैं। कार्यदायी संस्था द्वारा प्रथम किस्त का उपयोगिता प्रमाण पत्र देने के बावजूद निदेशालय द्वारा द्वितीय किस्त तीन माह की देरी से जारी की गयी जिस कारण कार्य अप्रैल 2018 तक कार्य 10% की देरी से चल रहा हैं। इस संबंध मे निदेशालय द्वारा कहा गया हैं कि भविष्य मे समय पर किश्त की धनराशि अवमुक्त कर दी जाएगी। बीजागार हेतु पदो के सृजन के संबंध मे कहा गया हैं कि  प्रकरण शासन को प्रेषित किया गया हैं चूंकि बीजागार का निर्माण दिनांक-30.11.2018 तक पूर्ण होना हैं। और बीजागार मे कार्य शुरू होने से पूर्व कर्मचारियो को ट्रेनिंग की भी आवश्यकता होती हैं ताकि संचालन मे कोई बाधा न आये इस लिए भी यह आवश्यक है कि पद सृजन मे कोई देरी न हो परंतु निदेशालय द्वारा इस संबंध में भी शासन को कोई भी अनुस्मारक पत्र नही भेजा था।

अत: बीजागार भवन निर्माण से पूर्व भारत सरकार की अनुमति नही लेने, भारत सरकार से प्राप्त बजट को अवरुद्ध रखने एवं उच्चाधिकारियों के आदेशो का उल्लघन किए जाने का प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता हैं।

**भाग-2 (ब)**

**प्रस्तर 8:- जी0एफ़0आर0 के नियम 19 ए के विरुध्द राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत ` 758.55 लाख की उपयोगिता प्रमाण पत्र (UC) जारी किया जाना।**

- A certificate of actual utilization of the grants received for the purpose for which it was sanctioned in Form GFR 19-A, should be insisted upon in the order sanctioning the grants-in-aid.
- The Utilization Certificate in respect of grants referred to in Rule 209 (6) should also disclose whether the specified, quantified and qualitative targets that should have been reached against the amount utilised, were in fact reached, and if not, the reasons therefor.
- Certified that I have satisfied myself that the conditions on which the grants-in-aid was sanctioned have been duly fulfilled and that I have exercised the following checks to see that the money was actually utilized for the purpose for which it was sanctioned.

रेशम निदेशालय के अंतर्गत चल रहे राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लेखा अभिलेखों की जांच मे पाया गया हैं कि उक्त योजना के अंतर्गत कृषि निदेशालय, उत्तराखंड द्वारा वर्ष 2015-16 से 2017-18 तक रेशम निदेशालय, उत्तराखंड को स्वीकृत धनराशि `1237.871 लाख मे से `758.55 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी थी। तथा रेशम निदेशालय द्वारा उक्त धनराशि योजना के क्रियान्वयन हेतु अपने अधीनस्थ कार्यालयो को आवंटित कर दी गयी।

नियमो के अनुसार अधीनस्थ कार्यालयो द्वारा उक्त धनराशि को योजना मे व्यय करने के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र रेशम निदेशालय को भेजा जाना चाहिए था जोकि उनके द्वारा नहीं भेजा गया है। आगे निदेशालय के अभिलेखों की जांच मे देखा गया हैं कि रेशम निदेशालय द्वारा उक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र, बिना अपने अधीनस्थ कार्यालयो से उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त किए व बिना सुनिश्चित किये कि अधीनस्थ कार्यालयो द्वारा यह कार्य वास्तव मे किये गये है ही, कृषि निदेशालय को भेज दिया हैं जो जीएफ़आर के

नियम 19 ए[5] विरुध्द है इस के अतिरिक्त अभिलेखो के अवलोकन से यह भी ज्ञात हुआ कि निदेशालय द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने हेतु कोई प्रयास नहीं किया हैं।

इस ओर इंगित किए जाने पर निदेशालय द्वारा बताया गया कि बिना उपयोगिता प्रमाण पत्र के भारत सरकार अगली किस्त नही अवमुक्त करती हैं इसीलिए बिना कार्यदायी संस्था से उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त किए निदेशालय द्वारा कृषि निदेशालय, उत्तराखंड को उपयोगिता प्रमाण पत्र भेज दिया। निदेशालय का उत्तर स्वत: ही लेखा परीक्षा की आपति की पुष्टि करता है।

अत: राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत जी0एफ़0आर0 के नियम 19 ए के विरुध्द ` 758.55 लाख की उपयोगिता प्रमाण पत्र (UC) जारी किये जाने का प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता हैं।

[5] The funds released are utilized for the work for which it was sanctioned provided.

**भाग 2-(ब)**

**प्रस्तर 9 : उत्तराखंड को-आपरेटिव रेशम फेडरेशन को 12वीं पंचवर्षीय प्लान (2012-17) के अनुसार project outlay ` 330 लाख के सापेक्ष मात्र `77.20 लाख की धनराशि का बजट अवमुक्त किये जाने से ड्राइंग, डिजाइनिंग व बुनाई आदि विभिन्न नई गतिविधियो का संचालन सम्भव न हो पाना एवं वित्तीय नियमो के विरूध अधूरा उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना व एक वर्ष गुजरने के उपरांत भी `25 लाख की उपयोगिता प्रमाण विभाग को न देना।**

उत्तराखंड को-आपरेटिव रेशम फेडरेशन पोस्ट ककून की गतिविधयो को सिल्क पार्क मे संचालित करता है शासन द्वारा उक्त के संचालन हेतु रेशम निदेशालय, उतराखंड से अनुदान की माग पर बजट स्वीकृत किया जाता है।

अभिलेखो व 12वें प्लान के अवलोकन मे पाया गया की उत्तराखंड को-आपरेटिव रेशम फेडरेशन की गतिविधयो को चलाने हेतु 12वें पाँच वर्षीय प्लान (2012-17) के अनुसार धनराशि project outlay ` 330 लाख व उनके द्वारा धनराशि की मांग (परिव्यय ` 325 लाख) के सापेक्ष मात्र `77.20 लाख की धनराशि का बजट प्रावधान व अवमुक्त किया गया था जिस कारण से उत्तराखंड को-आपरेटिव रेशम फेडरेशन को कार्यो को चलाने व गतिविधयो को सुचारु ढ्ग से संचालन करने मे दिक्कत आयी होगी जिसका उनके द्वारा माननीय मुख्यमंत्री को भी अवगत कराया गया है। वर्षवार उत्तराखंड को-आपरेटिव रेशम फेडरेशन द्वारा मांग अवमुक्त बजट व व्यय का विवरण निम्न दर्शाया गया है

**Strengthening of UCRF (12 five year plan)**

| year | **12 five year plan outlay** | Demand | Budget approved | Released | Expenditure | Less released against demand (5-3) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | **2.** | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 2012-13 | `330 lakh | 8000000 | 1150000 | 1150000 | 1150000 | **6850000** |
| 2013-14 | | 8000000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | **6600000** |
| 2014-15 | | 3500000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | **2100000** |
| 2015-16 | | 8000000 | 1545000 | 1545000 | 1545000 | **6455000** |
| 2016-17 | | 5000000 | 3500000 | 2225000 | 2225000 | **2775000** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | `330 lakh | **32500000** | **8995000** | **7720000** | **7720000** | **24780000** |
| **Strengthening of UCRF 2017-18** | | | | | | |
| 2017-18 | | 50000000 | 1420000 | 1420000 | 1420000 | **35800000** |

***Note: Information taken from Annual plans***

अभिलेखो मे आगे पाया गया कि उत्तराखंड को-आपरेटिव रेशम फेडरेशन द्वारा प्राप्त अनुदान के सापेक्ष किए गए व्यय की कई उपयोगता प्रमाण पत्र मे किस पर व्यय किया गया है नहीं दर्शाया गया है जो कि वित्तीय नियमो के विरुद है। निदेशलय द्वारा यह भी सुनिश्चित नहीं किया गया था कि क्या उत्तराखंड को-आपरेटिव रेशम फेडरेशन को अवमुक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय उनके द्वारा वास्तव (प्रमाण वार्षिक audited balance शीट प्राप्त कर) मे किया गया था अथवा नहीं। निदेशालय के अभिलेखो मे यह भी पाया गया कि यू0सी0आर0एफ़ को एस०सी०एस०पी0 के अंतर्गत 10/03/2017 को `25 लाख की धनराशि ककून क्रय किए जाने हेतु हस्तांतरित किया गया था लेकिन उनके द्वारा उक्त धनराशि का भी उपयोगता प्रमाण पत्र आतिथि (5/2018) तक निदेशक को उपलबध नहीं कराया गया है जबकि इस सन्दर्भ मे लेखा परीक्षा दल द्वारा पाया गया कि निदेशालय द्वारा `25 लाख की उपयोगता प्रमाण पत्र भी भारत सरकार को प्रेषित किया गया है जो वित्तीय नियमो के विरूध है।

उपरोक्त के सम्बंध पर पूछे जाने पर निदेशालय द्वारा अवगत कराया गया उत्तराखंड को-आपरेटिव रेशम फेडरेशन को कार्यो को चलाने व गतिविधयो को सुचारु ढ़ग से संचालन करने हेतु धनराशि पर्याप्त नहीं है जिस कारण से उत्तराखंड को-आपरेटिव रेशम फेडरेशन ड्राइंग डिजाइनिंग व बुनाई आदि विभिन्न नई गतिविधियो का संचालन सम्भव नहीं हो पा रहा है। तथा यू0सी0आर0एफ़ से `25 लाख की उपयोगता प्रमाण पत्र प्राप्त कर ली जाएगी। निदेशालय द्वारा दिया गया उत्तर स्वतः ही लेखा परीक्षा टिप्पणी की पुष्टि करता है।

अत: उत्तराखंड को-आपरेटिव रेशम फेडरेशन को 12 पंचवर्षीय प्लान (2012-17) के अनुसार project outlay ` 330 लाख के सापेक्ष मात्र `77.20 लाख की धनराशि का बजट अवमुक्त किये जाने से ड्राइंग, डिजाइनिंग व बुनाई आदि विभिन्न नई गतिविधियो का संचालन सम्भव न हो पाना एवं वित्तीय नियमो के विरूद अधूरा उपयोगता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना व एक वर्ष गुजरने के उपरांत भी `25 लाख की उपयोगता प्रमाण पत्र निदेशालय/विभाग को न देने का प्रकरण उच्च अधिकारियों के सज्ञान मे लाया जाता है।

**भाग 2-ब**

**प्रस्तर 10: अधिक रिक्त पद होने के कारण विभाग मे संचालित योजनाओ के क्रियान्वयन व उद्देश्यों की संतोषजनक पूर्ति न होना व संयुक्त निदेशक के पद का सृजन पुनर्गठित संरचनात्मक ढाँचे मे न होने व शासन की स्वीकृति के बगैर संयुक्त निदेशक के पद को नियमो के विरुध निरंतर बनाए रखा जाना।**

रेशम विभाग के संरचनात्मक ढाँचें मे शासनादेश संख्या 83/उधान/रेशम/ 57(5) /2002 दिनांक 4 फरवरी 2002 द्वारा 271 पदो का सृजन किया गया था जिसको शासनादेश संख्या 1506 दिनांक 11 दिसम्बर, 2006 द्वारा पुनरीक्षित कर 338 पदो का सृजन कर पुनर्गठित किया गया है।

अभिलेखो की जांच मे पाया गया कि फरवरी 2002 के अनुसार 271 स्वीकृत पदो के सापेक्ष 248 अधिकारी/ कर्मचारी कार्यरत थे जबकि 11 दिसम्बर, 2006 द्वारा पुनर्गठित संरचनात्मक ढाँचे के अनुसार 338 पदो के सापेक्ष आतिथि (30/4/2018) पर मात्र 181 अधिकारी/ कर्मचारी कार्यरत है (सलग्नक 1 के अनुसार)। आगे यह पाया गया कि विभाग के 158 रिक्त पदो मे से मुख्यता वे पद शामिल है जो विभाग के योजनाओ के क्रियान्वयन व उद्देश्यों की पूर्ति कराता है (सलग्नक 2 के अनुसार)। विभाग द्वारा इन कुछ रिक्त पदो को आउट सोर्सिंग से भरा गया है लेकिन 32 प्रदर्शक (विभागीय 71 फार्म हाउस हेतु), 6 बीज पर्यवेक्षक, 15 प्रधान कीट पालक व 16 प्रधान माली को आउट सोर्सिंग से भरे जाने के लिए कोई कोशिश नहीं की गयी थी जबकि शासनादेश संख्या दिनांक 4 अगस्त 2004 के अनुसार विभाग सैनिक कल्याण से इन पदो को आउट सोर्सिंग से भरा जा सकता था अगर विभाग ने शासन से उक्त हेतु मांग की होती। अभिलेखो मे आगे पाया गया कि विभाग द्वारा वर्ष 2004 मे संयुक्त निदेशक के पद का सृजन (28 फरवरी 2005) किया तद उपरांत शासनादेश संख्या 1506 दिनांक 11 दिसम्बर, 2006 के द्वारा विभाग के पुनर्गठित सरचनात्मक ढ़ाचे मे इस पद को नहीं रखा गया था तथापि विभाग, शासन से इस पद की निरंतरंता के आदेश हर वर्ष प्राप्त कर रहा था लेकिन वर्ष 2018-19 हेतु शासन द्वारा विभाग को पद की निरंतरंता के आदेश आतिथि (5/2018) तक नहीं दिये गए है फिर भी विभाग शासन की स्वीकृति के बगैर इस पद को निरंतर बनाए हुये है जो नियमो के विरुध है।

इस ओर इंगित किए जाने पर निदेशालय द्वारा अवगत किया गया कि विभाग मे संचालित योजनाओ के क्रियावयन हेतु रिक्त पदो के कार्य व्यवस्था के रूप मे विभागीय रेशम के रेंज प्रभारी/ निरीक्षक रेशम एवं आउट सोर्सिग से रखे गए कार्मिक से संपादित किये जा रहे है व वर्ष 2018-19 हेतु पद के अस्थाई से स्थाई किये जाने हेतु प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया गया है व कार्यवाही गतिमान है। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योकि संचालित योजनाओ के क्रियान्वयन हेतु जिन पदो की व्यवस्था के रूप मे बताया जा रहा है उनमे भी 15 से 45% कमी है साथ ही निरीक्षक[6] रेशम पद के कार्मिक वे काम नहीं कर सकते है जो एक प्रदर्शक, बीज पर्यवेक्षक, कीट पालक व माली कर सकता है साथ ही शासन की स्वीकृति के बगैर संयुक्त निदेशक के पद को नियमो के विरुध निरंतर बनाए रखा जा रहा है।

अत: अधिक रिक्त पदो के होने के कारण विभाग मे संचालित योजनाओ के क्रियान्वयन व उद्देश्यों की संतोषजनक पूर्ति सम्भव न होना, विभाग के पुनर्गठित संरचनात्मक ढांचे मे संयुक्त निदेशक के पद को सृजन हेतु न रखा जाना व शासन की स्वीकृति के बगैर संयुक्त निदेशक के पद को नियमो के विरुध निरंतर बनाए रखे जाने का प्रकरण उच्च अधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है

---

[6]**निरीक्षक के कार्य:** विकास खण्ड के अधीन स्थापित विभागीय उद्यानों का निरीक्षण। अधीनस्थ केन्द्रों को नवीनतम विभागीय तकनीकियों का हस्तान्तरण। कृषक स्तर पर कराये जा रहे रेशम विकास कार्यो का निरीक्षण एवं सत्यापन। कोया बाजारों में रेशम कोया कय –विकय प्रक्रिया का नियंत्रण।

सलग्न-1

रेशम विकास विभाग उत्तराखण्ड के अन्तर्गत स्वीकृत/कार्यरत रिक्त पदों का विवरण :

| क्र0सं0 | पदनाम | कुल स्वीकृत पद | पदों की संख्या | |
|---|---|---|---|---|
| | | | कार्यरत | रिक्त |
| 1 | निदेशक | 1 | – | 1 |
| 2 | संयुक्त निदेशक | 0 | 1 | |
| 3 | उप निदेशक | 2 | 1 | 1 |
| 4 | सहायक निदेशक | 9 | 5 | 4 |
| 5 | मुख्य प्रशासनिक अधिकारी | 1 | – | 1 |
| 6 | सहायक लेखाधिकारी | 1 | – | 1 |
| 7 | वरिष्ठ प्रशासनिक अधि0 | 3 | 2 | 1 |
| 8 | प्रशासनिक अधिकारी | 3 | 1 | 2 |
| 9 | लेखाकार | 1 | – | 1 |
| 10 | आशुलिपिक ग्रेड–1 | 1 | 1 | – |
| 11 | प्रधान सहायक | 5 | 3 | 2 |
| 12 | निरीक्षक (रेशम) | 35 | 30 | 5 |
| 13 | सहकारी निरीक्षक | 1 | 1 | – |
| 14 | सहायक लेखाकार | 1 | – | 1 |
| 15 | वरिष्ठ सहायक | 8 | 6 | 2 |
| 16 | आशुलिपिक ग्रेड–2 | 2 | 1 | 1 |
| 17 | अधिदर्शक/प्रदर्शक | 71 | 39 | 32 |
| 18 | सहकारिता पर्यवेक्षक | 2 | 1 | 1 |
| 19 | कनिष्ठ सहायक | 9 | 9 | – |
| 20 | चालक | 6 | 5 | 1 |
| 21 | बीज परीक्षक | 8 | – | 8 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 22 | प्रधान कीटपालक | 25 | 10 | 15 |
| 23 | प्रधान माली | 20 | 4 | 16 |
| 24 | कीटपालक | 65 | 33 | 32 |
| 25 | माली | 20 | 12 | 8 |
| 26 | अनुसेवक | 21 | 4 | 17 |
| 27 | चौकीदार | 17 | 12 | 5 |
| | योगः– | 338 | 181 | 158 |

| सलग्न-2 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | कर्तव्यों का विवरण | 2002 के अनुसार | | पुनर्गठित 2006 के अनुसार | | | | |
| | | स्वीकृत | कार्यरत | स्वीकृत | कार्यरत 12/2015 | कार्यरत 4/2018 | आउट सोर्स | कमी |
| सह निदेशक | **1.** जनपद में रेशम विकास कार्यो का संचालन एवं तकनीकी निर्देशन।<br>**2.** जनपद स्तरीय अधिकारी के कर्तव्यों का निर्वहन एवं प्रशासनिक तथा वित्तीय नियंत्रण।<br>**3.** स्थापना संबंधी कार्यो का संचालन एवं अधीनस्थ कर्मचारियों के वेतन, भत्तों आदि का आहरण एवं वितरण। | 4 | 2 | 9 | 7 | 5 | | 4 |
| प्रदर्शक | **1.** ग्राम / कृषक स्तर पर रेशम कीट भोज्य पौधों के उत्पादन हेतु नर्सरी स्थापित कराना तथा कृषकों को वृक्षारोपण सामग्री की आपूर्ति कराना।<br>**2.** रेशम केन्द्र पर चॉकी कीटपालन कार्य संपन्न कराना तथा उत्तरावस्था कीटपालन हेतु कृषकों को चॉकीकृत रेशम कीटों का वितरण।<br>**3.** प्रक्षेत्र में गुणवत्तायुक्त रेशम कोये के उत्पादन हेतु कृषकों को मार्गदर्शन उपलब्ध कराना।<br>**4.** उत्पादित कोया के विपणन तथा त्वरित मूल्य भुगतान की व्यवस्था कराना।<br>**5.** क्षेत्र में रेशम विकास कार्यो का प्रसार।<br>**6.** कृषकों को सभी विभागीय योजनाओं की पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराना।<br>7. इच्छुक कृषकों को विभागीय प्रशिक्षण हेतु चयनित करना। | 50 | 41 | 71 | 37 | 32 | | 39 |
| बीज | | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| माली | **1.** चॉकी उद्यानों पर औद्यानिक कार्यो का संचालन एवं उद्यानों का रख रखाव।<br>**2.** चॉकी उद्यानों पर गैप फिलिंग , प्रूनिंग ट्रीमिंग एवं उर्वरकों का प्रयोग।<br>3. कृषकों के निजी वृक्षारोपण विकसित करने हेतु तकनीकी जानकारी प्रदान करना। | 20 | 14 | 20 | 12 | 8 | 8 | 0 |
| प्रधान माली | | 20 | 20 | 20 | 7 | 16 | | 04 |
| कीटपालक | 1. कीटपालन क्षेत्र में कृषकों को कीटपालन संबंधी तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराना।<br>**2.** कीटपालकों को निरन्तर तकनीकी मार्गदर्शन।<br>3. कृषकों को विभागीय योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराते हुये प्रदर्शक के कार्यो में सहयोग प्रदान करना। | 65 | 67 | 65 | 34 | 32 | 32 | 0 |
| प्रधान कीटपालक | | 25 | 32 | 25 | 7 | 15 | | 10 |

**भाग-2 (ब)**

**प्रस्तर 11 :- चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के सामान्य भविष्य निधि खाते से आहरित रकम रु० 2,00,000/- को घटाये न जाने से सामान्य भविष्य निधि खाते मे अंतिम अवशेष अधिक प्रदर्शित होना ।**

रेशम निदेशालय, उत्तराखड़ देहारादून के लेखा अभिलेखो की जांच मे पाया गया हैं कि श्री ओम प्रकाश सकलानी, कीटपालक ने अपने सामान्य भविष्य निधि खाते (**खाता संख्या DDN/2065/00026**) से अप्रैल 2015 में रु० 2,00,000/- अपनी पुत्री की शादी हेतु अंतिम आहरण किया था जिसकी प्रविष्टियां उनके जीपीएफ अभिलेखों ( सा.भ. नि. पासबुक व लेज़र खाता दोनों मे ) में नहीं की गयी थी। जिस कारण उक्त कर्मचारी के खाते से आहरित रकम को घटाए नहीं जाने से उसके सामान्य भविष्य निधि खाते मे अंतिम अवशेष अधिक प्रदर्शित हो रहा था

इस ओर इंगित किए जाने पर निदेशालय द्वारा बताया गया कि नियमानुसार कार्यवाही कर ली जाएगी। निदेशालय का उत्तर स्वत: ही लेखा परीक्षा की आपति की पुष्टि करता है। इस के अतिरिक्त सामान्य भविष्य निधि का अंतिम भुगतान हुये लगभग 3 वर्ष व्यतीत हो चुके थे तथापि इस सन्दर्भ मे निदेशलय द्वारा कोई कार्यवाही सुनिश्चित नहीं की गयी थी।

अत: चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के सामान्य भविष्य निधि खाते से आहरित रकम रु० 2,00,000/- को घटाये न जाने से सामान्य भविष्य निधि खाते मे अंतिम अवशेष अधिक प्रदर्शित होना का प्रकरण उच्च अधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है।

**STAN**

**प्रस्तर 1 :- वृक्षारोपण पर ` 3,21,292.00 का अनियमित व्यय व निदेशालय द्वारा अपने अधीनस्थ कार्यालयों के कार्यो की सही निगरानी (monitoring) नही करना ।**

रेशम निदेशालय, उत्तराखड़ देहारादून के अंतर्गत चल रही वृक्षारोपण विकास स्कीम (Plantation Development Scheme) एवं वन्य सिल्क विकास (Vanya Silk Development) योजना से संबन्धित उपलब्ध कराई गयी सूचनाये/ आंकडो के अनुसार एक एकड़ मे 300 पौधों का पौधारोपण किया जाना चाहिए।

वर्ष 2015-16 मे 238 एकड़ मे कुल 123109 पौधो का वृक्षारोपण किया गया। एवं वर्ष 2016-17 मे 282.12 एकड़ मे कुल 113250 पौधो का वृक्षारोपण किया गया। जबकि कितने पौधे जीवित हैं (Survival rate) का आंकड़ा व उक्त के संबन्धित अभिलेख निदेशालय लेखा परीक्षा को उपलब्ध नहीं करा पाया। वर्षवार किए गये वृक्षारोपण का विवरण निम्न दिया है।

| **2015-16** | | | | **2016-17** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| जमीन (एकड़ मे) | कुल वृक्षारोपण | 300/एकड़ दर से कुल वृक्षारोपण | **अधिक वृक्षारोपण** | जमीन (एकड़ मे) | कुल वृक्षारोपण | 300/एकड़ दर से कुल वृक्षारोपण | **अधिक वृक्षा रोपण** |
| 238 | 123109 | 71400 | **51709** | 282.12 | 113250 | 84636 | **28614** |
| | | | | | | कुल अधिक वृक्षारोपण = | 80323 |
| | | | | | **(@`4/पौधा)** | **कुल अधिक व्यय = `** | **3,21,292.00** |

***स्रोत: निदेशालय***

उपरोक्त सारणी के अनुसार वर्ष 2015-16 एव 2016-17 मे कुल 80323 अतिरिक्त पौधो का वृक्षारोपण किया गया। इसके अलावा निदेशालय को अपने अधीनस्थ कार्यालयो द्वारा बाहरी नर्सरी से खरीदी गयी पौधो का मूल्य भी ज्ञात नही था। सहायक निदेशक, रेशम विभाग, गोपेश्वर से प्राप्त पौधो के मूल्य के आधार पर (प्रति पौधा `4/=की दर से), जो कि रेशम निदेशालय, उत्तराखड़ देहारादून का दिनांक-05 जून 2017 का ही पत्र हैं, के अनुसार पौधो की

नियमो से अधिक वृक्षारोपण पर कुल `3,21,292.00 का अनियमित व्यय किया गया इस के अतिरिक्त पौधारोपण की जगह कम होने से स्वस्थ पौधो व Survival rate मिलने की संभावना कम हो जाती हैं।

अतिरिक्त पौधारोपण की ओर इंगित करने पर निदेशालय द्वारा बताया गया कि जनपदो के अधीन राजकीय फॉर्मो एवं फुटकर क्षेत्रो मे वृक्षारोपण का कार्य किया जाता हैं। परंतु निदेशालय द्वारा इस संबंध मे कोई भी अभिलेख उपलब्ध नही कराये गए। बाहरी नर्सरी से खरीदी गयी पौधो का मूल्य के संबंध मे बताया गया कि बाहरी नर्सरी से खरीदी गयी पौधो का मूल्य एवं survival rate स्थानीय स्तर (अधीनस्थ कार्यालयों) पर उपलब्ध होगे। निदेशालय का उत्तर तर्कसंगत नही हैं क्योकि निदेशालय के माध्यम से ही अधीनस्थ कार्यालयों मे धन का आवंटन होता हैं एवं monitoring का कार्य भी निदेशालय स्तर का होता हैं। इसलिए अधीनस्थ कार्यालयों के क्रिया कलापो की जानकारी निदेशालय मे होनी चाहिए जिस का रख रखाव उनके द्वारा नहीं किया जा रहा है।

अत: वृक्षारोपण पर ` 3,21,292.00 का अनियमित व्यय व निदेशालय द्वारा अपने अधीनस्थ कार्यालयों के कार्यो की सही निगरानी (monitoring) नही किए जाने का प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता हैं।

## भाग– III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

| क्रम सं0 | निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या | भाग–II 'अ' प्रस्तर संख्या | भाग–II 'ब' प्रस्तर संख्या |
|---|---|---|---|
| 1. | 61/2012–13 | 1 (प्रतिवेदन पैरा) | 2 |
| 2. | 36/2015–16 | – | – STAN-1 |

**विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या :**

| निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या | प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण | अनुपालन आख्या | लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|
| पूर्व में महालेखाकार (लेखापरीक्षा) कार्यालय को प्रेषित की गयी थी। | | | | |

## भाग– IV

## इकाई के सर्वोत्तम कार्य

––– शून्य –––

## भाग–V

## आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु . निदेशक, रेशम निदेशालय–उत्तराखण्ड, देहरादून तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये :

शून्य

2. सतत् अनियमितताएं : शून्य

3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया

| क्रम सं0 | नाम | पदनाम | अवधि |
|---|---|---|---|
| (i) | श्री एस एस शर्मा, | निदेशक | (31-5-2017 तक) |
| (ii) | श्री आनंद कुमार यादव, | ,, | (1-6-2017 से अब तक) |

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति निदेशक, रेशम निदेशालय–उत्तराखण्ड, प्रेमनगर, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार/ आर्थिक क्षेत्र–।।, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा)–उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून को प्रेषित कर दी जांय।

**वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी**

**आर्थिक क्षेत्र - 2**